GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

LOK SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 2187
TO BE ANSWERED ON 05.08.2024

Green Credit Programme

2187. SMT. DELKAR KALABEN MOHANBHAI:

Will the Minister of ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE be pleased to state:

(a) the details of the States that have offered barren land for afforestation under the Green Credit Programme (GCP);
(b) whether a proposal from the Union Territory of Dadra Nagar Haveli and Daman and Diu is also under consideration with the Government;
(c) if so, the details of the action taken by the Government on the said proposal;
(d) whether the said programme is in accordance with the existing environmental policies and regulations;
(e) whether the Government has formulated rules and regulations for the Green Credit Programme; and
(f) if so, the details thereof and if not, the reasons thereof?

ANSWER

MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE
(SHRI KIRTI VARDHAN SINGH)

(a) to (f). The Central Government has notified Green Credit Rules,2023 on 12th October 2023 under the Environment Protection Act, 1986 (Annexure - I) to encourage voluntary environmental positive actions resulting in issuance of Green Credits.

To begin with, voluntary tree plantation/eco-restoration is envisaged on degraded land under the control and management of Forest Departments. The Ministry published notification for 'Methodology for calculation of green credit in respect of tree plantation' on 22nd February 2024 (Annexure - II).

Status of registration of plantation blocks under GCP as on 29th July 2024 is provided in Annexure - III.

As on date, the Union Territory of Dadra Nagar Haveli and Daman and Diu have not uploaded any land parcels for making them available for undertaking tree plantation/eco-restoration under the Green Credit Programme.

****

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13102023-249377
CG-DL-E-13102023-249377

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4287]	नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 12, 2023/आश्विन 20, 1945
No. 4287]	NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 12, 2023/ASVINA 20, 1945

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 अक्तूबर, 2023

का.आ. 4458(अ).—विभिन्न पणधारकों के पर्यावरण अनुकूल कार्यों को प्रोत्साहित करने के लिए ग्रीन क्रेडिट हेतु बाजार-आधारित दृष्टिकोण का लाभ उठाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम आरंभ किया जा रहा है;

और भारत सरकार ने पर्यावरण की सुरक्षा एवं संरक्षण और पर्यावरण अनुकूल कार्यों, जो संरक्षण एवं संयम की परंपराओं एवं मूल्यों पर आधारित जीवन जीने के स्वस्थ एवं सतत तरीके का प्रचार करते हों, को बढ़ाकर अन्य पर्यावरणीय एवं जलवायु लाभों के लिए और सतत एव पर्यावरण हितैषी विकास के लिए भू स्तर पर, जन आंदोलन के रूप में 'लाइफ' - 'पर्यावरण हेतु जीवन शैली' का प्रारम्भ है;

और पर्यावरण के प्रति सकारात्मक कार्यों को प्रोत्साहित करने के लिए बाजार-आधारित अभिनव तंत्र "लाइफ" आंदोलन को बढ़ावा देने में सहायता करेगा, जिसका उद्देश्य उपभोक्ताओं और समाज को पर्यावरण अनुकूल कार्यों को बढ़ावा देने वाले व्यवहारिक परिवर्तनों की ओर प्रेरित करके सतत जीवन शैली को प्रोत्साहित करना है;

और ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) के अधीन बनाई गई कार्बन क्रेडिट व्यापार स्कीम, 2023 से पृथक है, ग्रीन क्रेडिट प्रदान करने वाले पर्यावरणीय कार्यों से जलवायु संबंधी लाभ भी हो सकते हैं, जैसे कार्बन उत्सर्जन को कम करना या समाप्त करना और ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम के अधीन ग्रीन क्रेडिट प्रदान करने वाला कार्य, उक्त स्कीम के अधीन उसी कार्य के लिए कार्बन क्रेडिट भी प्राप्त किया जा सकेगा;

और ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम कार्यान्वयन नियम, 2023 का प्रारूप भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में अधिसूचना संख्या का.आ. 2779 (अ), तारीख 26 जून, 2023 द्वारा प्रकाशित किया गया था जिसमें सभी व्यक्तियों से आपत्तियाँ और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और केंद्रीय सरकार द्वारा प्राप्त सभी आपत्तियों और सुझावों पर सम्यक रूप से विचार किया गया है;

अतः अब, केंद्रीय सरकार पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29), धारा 3, धारा 6 और धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्: -

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ —** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम ग्रीन क्रेडिट नियम, 2023 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम के उद्देश्य. - (1) ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम बाजार-आधारित तंत्र के माध्यम से पर्यावरण हेतु सकारात्मक कार्यों को प्रोत्साहित करेगा और ग्रीन क्रेडिट प्रदान करेगा, जिससे व्यापार कर पाएंगे और ये घरेलू बाजार मंच पर व्यापार हेतु उपलब्ध कराए जाएंगे।

(2) ग्रीन क्रेडिट नियम 4 के उप-नियम (2) में निर्दिष्ट किसी भी पर्यावरणीय कार्य के लिए किसी व्यक्ति द्वारा किए गए उपाय से प्राप्त होगा।

(3) ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम उद्योगों, कंपनियों और अन्य संस्थाओं को वर्तमान में प्रवृत्त किसी भी विधि के अंतर्गत विद्यमान दायित्वों या अन्य दायित्वों को पूरा करने के साथ-साथ नियम 4 में निर्दिष्ट स्वैच्छिक पर्यावरणीय उपाय करने हेतु अन्य व्यक्तियों, और इकाइयों को सुविधा प्रदान करने के लिए ग्रीन क्रेडिट प्रदान कर या खरीदकर प्रोत्साहित करेगा;

परन्तु कि उस समय प्रवृत्त विधि की अनुपालना में पूरे किए गए दायित्व से सृजित या प्राप्त ग्रीन क्रेडिट व्यापार योग्य नहीं होगा।

3. परिभाषाएँ - (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, -

(क) "प्रशासक" से नियम 7 में निर्दिष्ट प्रशासक अभिप्रेत है;

(ख) "अभिहित अभिकरण" से नियम 13 के अधीन ऐसी अभिहित कोई इकाई अभिप्रेत है;

(ग) "ग्रीन क्रेडिट" से किसी विशिष्ट कार्य, जिसका पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता हो, हेतु प्रदान किए गए प्रोत्साहन की एकल इकाई अभिप्रेत है;

(घ) "रजिस्ट्री" से तात्पर्य नियम 10 के अधीन स्थापित ग्रीन क्रेडिट रजिस्ट्री अभिप्रेत है।

(2) उन शब्दों और पदों के जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किंतु पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में है।

4. ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम - (1) कोई व्यक्ति या इकाई पर्यावरण की सुरक्षा, परिरक्षण या संरक्षण के प्रयोजनार्थ उप-नियम (2) में निर्दिष्ट कोई भी उपाय कर सकेगा।

(2) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट उपायों में निम्नलिखित कार्य सम्मिलित हैं, अर्थात्:-

(i) वृक्षारोपण – सम्पूर्ण देश में हरित आवरण बढ़ाने के लिए कार्यों को प्रोत्साहन हेतु;

(ii) जल प्रबंधन - जल संरक्षण, जल संचयन और जल के कुशल उपयोग या जल बचत को प्रोत्साहन हेतु, जिसमें अपशिष्ट जल का उपचार और पुन: उपयोग सम्मिलित है;

(iii) सतत कृषि - उत्पादकता, मृदा स्वास्थ्य और उत्पादित खाद्य के पोषण मूल्य में सुधार लाने हेतु प्राकृतिक एवं पुनर्योजी कृषि प्रथाओं और भूमि पुनरूद्धार को प्रोत्साहन हेतु;

(iv) अपशिष्ट प्रबंधन - संग्रहण, पृथक्करण और पर्यावरण की दृष्टि से सुदृढ़ प्रबंधन सहित अपशिष्ट प्रबंधन हेतु चक्रीयता, सततता और परिष्कृत प्रथाओं को प्रोत्साहन हेतु;

(v) वायु प्रदूषण में कमी लाना - वायु प्रदूषण में कमी लाने वाले उपायों और अन्य प्रदूषण उपशमन कार्यकलापों के प्रोत्साहन हेतु;

(vi) मैंग्रोव संरक्षण और पुनरूद्धार - मैंग्रोव के संरक्षण और पुनरूद्धार के उपायों को प्रोत्साहन हेतु;

(vi) इकोमार्क लेबल विकसित करना - विनिर्माताओं को अपने माल और सेवाओं हेतु इकोमार्क लेबल प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना;

(vii) सतत भवन और बुनियादी ढांचा - पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकियों और सामग्रियों का उपयोग करके सतत भवनों एवं अन्य आधारभूत ढांचे के निर्माण को प्रोत्साहित करना।

(3) ग्रीन क्रेडिट प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्ति या संस्था को उप-नियम (2) में निर्दिष्ट किसी भी कार्य हेतु ग्रीन क्रेडिट लेने के लिए उनके द्वारा किए गए कार्य को प्रशासक के पास रजिस्टर करना होगा।

(4) उप-नियम (3) के अधीन रजिस्ट्रीकरण हेतु आवेदन केंद्रीय सरकार द्वारा इस प्रयोजनार्थ स्थापित वेबसाइट के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रशासक को किया जाएगा।

(5) उप-नियम (4) के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर, प्रशासक कार्य को किसी अभिहित अभिकरण द्वारा सत्यापित कराएगा।

(6) अभिहित अभिकरण, इस संबंध में बनाए गए दिशानिर्देशों के अनुसार, सत्यापन एवं पूछताछ, य़थावश्यक, के पश्चात, आवेदक द्वारा किए गए कार्यों की पुष्टि करते हुए प्रशासक को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(7) आवेदक द्वारा किए गए कार्यों की पुष्टि करते हुए उप-नियम (6) के अधीन रिपोर्ट प्राप्त होने पर, प्रशासक आवेदक को ग्रीन क्रेडिट का प्रमाण पत्र प्रदान करेगा।

5. ग्रीन क्रेडिट उत्पन्न करने की पद्धति - (1) किसी भी कार्य के संदर्भ में ग्रीन क्रेडिट की गणना करने की पद्धति इस प्रकार होगी, जो प्रशासक की सिफारिशों पर केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए ।

(2) किए गए किसी भी कार्य के संदर्भ में ग्रीन क्रेडिट की गणना वांछित पर्यावरणीय परिणाम प्राप्त करने हेतु आवश्यक संसाधन, समान स्केल, क्षेत्र, आकार एवं अन्य प्रासंगिक मापदंडों की समकक्षता पर आधारित होगी।

(3) नियम (4) के अधीन निर्दिष्ट कार्यों हेतु ग्रीन क्रेडिट उत्पन्न करने और जारी करने की पद्धतियाँ केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की जाएंगी।

6. ग्रीन क्रेडिट उत्पन्न करने की प्रक्रिया - (1) ग्रीन क्रेडिट की गणना के प्रयोजनार्थ किए गए कार्यों के मूल्यांकन और सत्यापन की पद्धति इस प्रकार होगी, जो प्रशासक द्वारा निर्धारित की जाए।

(2) कार्यों के रजिस्ट्रीकरण का तरीका और इस प्रकार के रजिस्ट्रीकरण हेतु अपेक्षित विवरण प्रशासक द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

(3) प्रशासक कार्यों के रजिस्ट्रीकरण, किए गए कार्यों के मूल्यांकन एवं सत्यापन और इस प्रकार सत्यापित कार्यों के के संबंध में इलेक्ट्रॉनिक रूप से ग्रीन क्रेडिट प्रदान करने हेतु वेबसाइट विकसित करेगा।

7. प्रशासक - (1) भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद, सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 का सं. 21 के अधीन रजिस्ट्रीकरण संख्या 596/1990-91 के अधीन रजिस्ट्रीकरण सोसायटी तारीख 12 मार्च, 1991 द्वारा स्थापित और तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा फा. सं.1-8/89-आरटी, तारीख 22 जून, 1990 के माध्यम से यथाघोषित एक स्वायत्त निकाय, इन नियमों के अधीन प्रशासक होगा।

(2) प्रशासक इन नियमों के अधीन इसके प्रबंधन और संचालन सहित ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी होगा।

(3) प्रशासक के उत्तरदायित्वों में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे, अर्थात्: -

(क) इन नियमों के अधीन ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए दिशानिर्देश, प्रक्रियाएं और कार्य प्रणाली विकसित करना;

(ख) पद्धतियां, रजिस्ट्रीकरण प्रक्रिया, दिशानिर्देश और संबंधित माप, रिपोर्टिंग और सत्यापन हेतु तंत्र विकसित करना;

(ग) ग्रीन क्रेडिट (डिजिटल ग्रीन क्रेडिट जारी करने सहित) और प्रत्येक चिह्नित कार्य से उत्पन्न ग्रीन क्रेडिट का समतुल्य जारी करने हेतु कार्यप्रणाली और प्रक्रियाएं स्थापित करना;

(घ) ग्रीन क्रेडिट रजिस्ट्री और व्यापार मंच की स्थापना और संचालन हेतु; ग्रीन क्रेडिट जारी करने हेतु किसी कार्य के रजिस्ट्रीकरण के लिए स्व-प्रमाणन या तृतीय पक्ष प्रमाणन हेतु; अभिहित अभिकरण द्वारा इसके निरीक्षण और सत्यापन हेतु और लेखा-परीक्षकों का पैनल बनाने एवं ऐसे लेखा-परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षा करने हेतु दिशानिर्देश विकसित करना;

(ङ) अनुमोदित दिशानिर्देशों के अनुसार ग्रीन क्रेडिट रजिस्ट्री व्यापार मंच सेवा प्रदाता की स्थापना या नामित करना;

(च) ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम पोर्टल, ज्ञान एवं डेटा मंच और रजिस्ट्रीकरण संस्थाओं से शुल्क के लिए दिशानिर्देश विकसित करना;

(छ) नामित अभिकरण, रजिस्ट्री, व्यापार मंच और ज्ञान एवं डेटा मंच द्वारा वार्षिक विवरणियां एवं प्रगति प्रतिवेदन दर्ज करने के लिए दिशानिर्देश विकसित करना;

(ज) ग्रीन क्रेडिट के व्यापार हेतु बाजार स्थिरता तंत्र के लिए दिशानिर्देश विकसित करना।

(झ) ग्रीन क्रेडिट प्रमाणपत्रों के व्यापार से संबंधित मामलों को विनियमित करना और विक्रेताओं और क्रेताओं दोनों के हितों की रक्षा करना और धोखाधड़ी या अविश्वास को रोकने के लिए निवारक एवं सुधारात्मक कार्रवाई करना।

(4) प्रशासक उपरोक्त उपनियम (3) के अधीन दिशानिर्देशों एवं पद्धतियों हेतु केंद्रीय सरकार का अनुमोदन प्राप्त करेगा।

8. संचालन समिति - (1) केंद्रीय सरकार द्वारा गठित की जाने वाली संचालन समिति इन नियमों के अधीन ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम के कार्यान्वयन की निगरानी हेतु उत्तरदायी होगी।

(2) संचालन समिति में मंत्रालयों या विभागों के प्रतिनिधि, पर्यावरण क्षेत्र के विशेषज्ञ, उद्योग संघ और अन्य प्रासंगिक पणधारक सम्मिलित होंगे जिन्हें केंद्रीय सरकार उचित समझे।

(3) संचालन समिति, समय-समय पर, इन नियमों के अधीन ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम की समीक्षा करेगी और निम्नलिखित के संबंध में केंद्रीय सरकार को सिफारिशें करेगी, अर्थात्:-

(क) ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम में सम्मिलित किए जाने वाले कार्य और क्षेत्र के संबंध में; और

(ख) केंद्रीय सरकार द्वारा इसको संदर्भित किसी भी मामले के संदर्भ में।

9. तकनीकी समिति — (1) केंद्रीय सरकार, प्रशासक की सिफ़ारिशों के आधार पर प्रत्येक कार्य हेतु तकनीकी समितियों का गठन कर सकेंगी, जो इन नियमों के अधीन ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम के कार्यान्वयन में प्रशासक की सहायता करेगी।

(2) प्रत्येक तकनीकी समिति के सदस्यों में मंत्रालयों एवं विभागों, संगठनों और उस कार्य से संबंधित क्षेत्र में ज्ञान और अनुभव रखने वाले विशेषज्ञ सम्मिलित होंगे;

(3) तकनीकी समिति सिफारिशें विकसित करेगी और प्रशासक को प्रेषित करेगी जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित सम्मिलित भी होगा –

(क) वांछित पर्यावरणीय परिणाम प्राप्त करने हेतु आवश्यक संसाधन, समान स्केल, क्षेत्र, आकार एवं अन्य प्रासंगिक मापदंडों की समकक्षता के आधार पर ग्रीन क्रेडिट की एक इकाई की गणना के लिए पद्धति;

(ख) प्रत्येक कार्य के संबंध में रजिस्ट्रीकरण, सत्यापन, मूल्यांकन, माप और रिपोर्टिंग प्रक्रिया के लिए तंत्र।

(4) प्रशासक द्वारा तकनीकी समिति को निर्दिष्ट किसी भी अन्य तकनीकी मामले पर यह परामर्श देगी।

10. ग्रीन क्रेडिट रजिस्ट्री - (1) प्रशासक या नामित अभिकरण प्रत्येक ग्रीन क्रेडिट का रजिस्ट्रीकरण करने एवं जारी करने हेतु ग्रीन क्रेडिट रजिस्ट्री की स्थापना एवं रखरखाव करेगी।

(2) रजिस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस होगी, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, रजिस्ट्रीकरण एवं ग्रीन क्रेडिट जारी करने से संबंधित सामान्य डेटा तत्व सम्मिलित होंगे।

(3) रजिस्ट्री निम्नलिखित कार्यों का निर्वहन करेगी, अर्थात्: -

(क) कार्यों का रजिस्ट्रीकरण और ग्रीन क्रेडिट जारी करना;

(ख) ग्रीन क्रेडिट जारी करने का सटीक लेखा-जोखा सुनिश्चित करना;

(ग) सभी आवश्यक एवं अनिवार्य सुरक्षा प्रोटोकॉल के साथ सुरक्षित डेटाबेस बनाए रखना;

(घ) प्रशासक द्वारा इसे सौंपा गया कोई अन्य कार्य।

11. ट्रेडिंग प्लेटफार्म - (1) प्रशासक केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से (व्यापार मंच) ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की स्थापना करेगा एवं उसका रखरखाव करेगा।

(2) ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से प्रशासक द्वारा बनाए गए दिशानिर्देशों के अनुसार, ग्रीन क्रेडिट के व्यापार संबंधी कार्य करेगा।

12. ज्ञान एवं डेटा मंच - (1) प्रशासक किए जा रहे विभिन्न कार्यों के संबंध में पारदर्शिता प्रदान करने और इन नियमों के अधीन क्षेत्रवार प्रगति की रिपोर्ट करने हेतु, केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से, ज्ञान एवं डेटा मंच विकसित करेगा एवं उसका रखरखाव करेगा।

(2) ज्ञान एवं डेटा मंच रजिस्ट्री से उत्पन्न प्रमुख डेटा बिंदुओं और अन्य जानकारी, जैसे क्षेत्रवार उपलब्धियां, सर्वोत्तम प्रथाएं, क्षमता निर्माण संबंधी जानकारी आदि को संगृहीत कर सकेगा।

13. अभिहित अभिकरण - (1) प्रशासक ऐसी संस्थाओं को केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित दिशानिर्देशों के अनुसार अभिहित अभिकरण के रूप में कार्य करने के लिए संस्थाओं को नामित करेगा।

(2) अभिहित अभिकरण इन नियमों के अधीन ग्रीन क्रेडिट जारी करने हेतु आवेदक द्वारा किए गए कार्यों के सत्यापन के संबंध में दिशानिर्देशों के अनुसार सत्यापन करवाएगा और प्रशासक को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा;

(3) अभिहित अभिकरण दिशानिर्देशों के अनुसार प्रशासक को वार्षिक विवरणियां प्रस्तुत करेगा।

14. ग्रीन क्रेडिट हेतु मांग उत्पन्न करना - (1) इन नियमों के अधीन ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम में भागीदारी स्वैच्छिक भागीदारी पर आधारित होगी।

(2) संचालन समिति देश में ग्रीन क्रेडिट की मांग उत्पन्न करने के उपायों की सिफारिश करेगी।

15. लेखापरीक्षक. - (1) प्रशासक, अभिहित अभिकरण, रजिस्ट्री, व्यापार मंच और ज्ञान एवं डेटा मंच के कार्यों की प्रत्येक तीसरे वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर एक वर्ष के भीतर संचालन समिति की अनुशंसा पर केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त स्वतंत्र लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षा करवाई जाएगी।

(2) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट लेखा परीक्षक अपना लेखा परीक्षा प्रतिवेदन प्रशासक को प्रस्तुत करेगा।

(3) प्रशासक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की प्राप्ति की तारीख से छह मास के भीतर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट केंद्रीय सरकार को प्रस्तुत करेगा।

[फा. सं.12/24/2023 – एचएसएम (पीटी2)]

नमिता प्रसाद, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th October, 2023

S.O. 4458 (E).—WHEREAS a Green Credit programme is being launched at national level to leverage a competitive market-based approach for green credit for incentivising environmental actions of various stakeholders;

AND WHEREAS the Government of India has introduced ‘LiFE'-'Lifestyle for Environment’, as a grass-root, mass movement, for protection and conservation of environment and for other environmental and climate gains, by enhancing environmental actions that propagate a healthy and sustainable way of living based on traditions and values of conservation and moderation, and for sustainable and environment-friendly development;

AND WHEREAS an innovative market-based mechanism to incentivise environment positive actions will help promote the LiFE movement, which aims at encouraging sustainable lifestyles by driving consumer and community towards behavioural changes that promote environment friendly actions;

AND WHEREAS the Green Credit programme is independent of the carbon credit under the Carbon Credit Trading Scheme, 2023 made under the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001), an environmental activity generating green credit may have climate co-benefits, such as reduction or removal of carbon emissions and an activity generating green credit under Green Credit programme may also get carbon credit from the same activity under the said Scheme;

AND WHEREAS the draft Green Credit Programme Implementation Rules, 2023 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* notification number S.O. 2779(E), dated the 26^{th} June 2023 inviting objections and suggestions from all persons;

AND WHEREAS all the objections and suggestions received have been duly considered by the Central Government;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by section 3, section 6 and section 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Green Credit Rules, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Objectives of Green Credit programme.— (1) The green credit programme shall incentivise environmental positive actions through market-based mechanism and generate green credit, which shall be tradable and made available for trading on a domestic market platform.

(2) The green credit will arise from taking measures by a person of any environment activities referred to in sub-rule (2) of rule 4.

(3) The green credit programme shall encourage industries, companies and other entities to meet their existing obligations or other obligations under any law for the time being in force, and encourage other persons and entities, to undertake voluntary environmental measures referred to in rule 4 by generating or buying green credit:

Provided that the green credit generated or procured to fulfil any obligation in compliance of any law for the time being in force shall not be tradable.

3. Definitions.— (1) In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "Administrator" means the Administrator referred to in rule 7;

(b) "designated agency" means an entity designated as such under rule 13;

(c) "Green Credit" means a singular unit of an incentive provided for a specified activity, delivering a positive impact on the environment;

(d) "Registry" means the Green Credit Registry established under rule 10.

(2) Words and expressions used in these rules and not defined herein but defined in the Environment (Protection) Act, 1986, shall have the same meaning as assigned to them in the Act.

4. Green Credit programme.— (1) Any person or entity may take any measure specified under sub-rule (2) for the purposes of protection, preservation, or conservation of the environment.

(2) The measures referred to in sub-rule (1) may include the following activities, namely:—

(i) tree plantation—to promote activities for increasing the green cover across the country;

(ii) water management—to promote water conservation, water harvesting and water use efficiency or water savings, including treatment and reuse of wastewater;

(iii) sustainable agriculture—to promote natural and regenerative agricultural practices and land restoration to improve productivity, soil health and nutritional value of food produced;

(iv) waste management—to promote circularity, sustainable and improved practices for waste management, including collection, segregation, and environmentally sound management;

(v) air pollution reduction—to promote measures for reducing air pollution and other pollution abatement activities;

(vi) mangrove conservation and restoration—to promote measures for conservation and restoration of mangroves;

(vi) ecomark label development—to encourage manufacturers to obtain ecomark label for their goods and services;

(vii) sustainable building and infrastructure—to encourage the construction of sustainable buildings and other infrastructure using environment friendly technologies and materials.

(3) A person or entity desirous of obtaining green credit shall register the activity with the Administrator for any activity referred to in sub-rule (2) undertaken by him for grant of green credit.

(4) An application for registration under sub-rule (3) shall be made to the Administrator electronically through a website established by the Central Government for that purpose.

(5) On receipt of the application under sub-rule (4), the Administrator shall cause the activity to be verified by a designated agency.

(6) The designated agency shall, after making such verification and inquiry as it may deem necessary, in accordance with the guideline made in this behalf, submit a report to the Administrator verifying the activities undertaken by the applicant.

(7) On receipt of the report under sub-rule (6) verifying the activities undertaken by the applicant, the Administrator shall grant the applicant a certificate of green credit.

5. Methodology of generating green credit.—(1) The methodology for calculating the green credit in respect of any activity undertaken shall be such as may be notified by the Central Government on the recommendation of the Administrator.

(2) The calculation of green credit in respect of any activity undertaken shall be based on equivalence of resource requirement, parity of scale, scope, size and other relevant parameters required to achieve the desired environmental outcome.

6. Procedure for generation of green credit.— (1) The methodology for evaluation and verification of the activities undertaken for the purpose of calculation of green credit shall be such as may be determined by the Administrator.

(2) The manner of registration of the activities and the details required for such registration shall be determined by the Administrator.

(3) The Administrator shall develop the website for registration of activities, evaluation and verification of activities undertaken and award of green credit in respect of such verified activities, electronically.

7. Administrator.— (1) The Indian Council of Forestry Research and Education, a Society registered under the Societies Registration Act, 1860 (21 of 1860) vide Registration No.596/1990-91, dated the 12th March, 1991 and an autonomous body as declared by the then Ministry of Environment and Forests, Government of India vide Resolution No.1-8/89-RT, dated the 22nd June, 1990, shall be the Administrator under these rules.

(2) The Administrator shall be responsible for the effective implementation of the Green Credit programme, including its management and operation under these rules.

(3) The responsibilities of the Administrator shall include the following, namely:—

(a) develop guidelines, processes and procedures for the implementation of the green credit programme under these rules;

(b) develop methodologies, registration process, guidelines and associated measurement, reporting and verification mechanism;

(c) establish methodologies and processes for issuance of green credit (including issuance of digital green credit), and equivalence of green credit generated from each identified activity;

(d) develop guidelines for the establishment and operation of the Green Credit Registry and trading platform; for self-certification or third-party certification for the registration of an activity for issuance of green credits and its inspection and verification by designated agency, for empanelment of auditors and audit by such auditors;

(e) establish or designate the Green Credit Registry, and trading platform service provider in accordance with the approved guidelines;

(f) develop guidelines for the green credit programme portal, the knowledge and data platform, and for the fees from the registered entities;

(g) develop guidelines for filing of annual returns and progress reports by designated agency, Registry, trading platform and knowledge and data platform;

(h) develop guidelines for the market stability mechanism for trading of green credit.

(i) regulate matters relating to trading of green credit certificates and to safeguard interest of sellers and buyers; and take preventive and corrective actions to prevent fraud or mistrust.

(4) The Administrator shall seek approval of the Central Government for guidelines and methodologies under sub-rule (3).

8. Steering Committee.— (1) A Steering Committee to be constituted by the Central Government shall be responsible for the monitoring of the implementation of the Green Credit programme under these rules.

(2) The Steering Committee shall comprise of representatives from the Ministries or Departments, experts from the field of environment, industry associations and other relevant stakeholders as the Central Government may consider appropriate.

(3) The Steering Committee shall, from time to time, review the Green Credit programme under these rules and make recommendations to the Central Government in respect of following, namely:—

(a) activities and sectors to be included in the Green Credit programme; and

(b) any matter referred to it by the Central Government.

9. Technical Committee.— (1) The Central Government, based on the recommendations of the Administrator, may constitute Technical Committees for each activity which shall assist the Administrator in implementation of the Green Credit programme under these rules.

(2) Each Technical Committee shall comprise of members from the Ministries and Departments, organisations and experts having the knowledge and experience in the field related to the activity;

(3) Technical Committee shall develop and make recommendations to the Administrator which will inter alia include—

(a) methodology for calculation of one unit of Green Credit, on the basis of equivalence of resource requirement, parity of scale, scope, size and other relevant parameters required to achieve the desired environmental outcome;

(b) mechanism for registration, verification, evaluation, measurement and reporting process in respect of each activity.

(4) The Technical Committee shall advise on any other technical matter referred to it by the Administrator.

10. Green Credit Registry.— (1) The Administrator or designated agency shall establish and maintain a Green Credit Registry for the registration and issuance of each Green Credit.

(2) The Registry shall be an electronic database, which, inter alia, shall contain common data elements relevant to the registration and issuance of green credit.

(3) The Registry shall discharge the following functions, namely:—

(a) registration of activities and issuance of green credit;

(b) ensure accurate accounting of the issuance of green credit;

(c) maintain secure database with all required and essential security protocols;

(d) any other function assigned to it by the Administrator.

11. Trading platform.— (1) The Administrator shall establish and maintain a trading platform with the approval of the Central Government.

(2) The trading platform shall perform functions regarding the trading of green credit, in accordance with the guidelines made by the Administrator with the approval of the Central Government.

12. Knowledge and data platform.— (1) The Administrator shall develop and maintain a knowledge and data platform, with approval of the Central Government, for providing transparency on various activities being undertaken and for reporting sectoral progress under these rules.

(2) The knowledge and data platform may collate key data points generated from the Registry and other information, such as sectoral achievements, best practices, information on capacity building, etc.

13. Designated agency.— (1) The Administrator shall designate such entities to act as designated agency in accordance with the guidelines approved by the Central Government.

(2) The designated agency shall conduct verification and submit reports to the Administrator in accordance with the guidelines as regard to the verification of the activities undertaken by an applicant for issuance of green credit under these rules.;

(3) The designated agency shall file annual returns to the Administrator in accordance with the guidelines.

14. Demand generation for green credit.— (1) The participation to the Green Credit programme under these rules shall be based on voluntary participation.

(2) The Steering Committee shall recommend measures to generate demand for green credit in the country.

15. Auditors.— (1) The activities of the Administrator, designated agency, Registry, trading platform and knowledge and data platform shall be audited within a period of one year at the end of every third financial year by independent auditors to be appointed by the Central Government on the recommendation of the Steering Committee.

(2) The auditor referred to in sub-rule (1) shall submit its audit report to the Administrator.

(3) The Administrator shall submit an action taken report on the audit report to the Central Government within a period of six months from the date of the receipt of the audit report.

[F. No.12/24/2023–HSM(pt2)]

NAMEETA PRASAD, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26022024-252377
CG-DL-E-26022024-252377

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 844]	नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 26, 2024/फाल्गुन 7, 1945
No. 844]	NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 26, 2024/PHALGUNA 7, 1945

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 फरवरी, 2024

का.आ. 884(अ).—केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3,6, 25 के अधीन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप खंड (ii) में तारीख 12 अक्टूबर, 2023 की अधिसूचना संख्या का.आ. 4458 (अ) द्वारा प्रकाशित ग्रीन क्रेडिट नियम, 2023 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम रूप में कहा गया है) बनाए थे;

और, उक्त नियमों के नियम 5 में उपबंध है कि केंद्रीय सरकार, प्रशासक की सिफारिश पर, उक्त नियमों के अधीन की गई किसी भी क्रियाकलाप के संबंध में ग्रीन क्रेडिट की गणना के लिए कार्यप्रणाली को अधिसूचित करेगी;

अत: अब, केंद्रीय सरकार, ग्रीन क्रेडिट नियम, 2023 के नियम 5 के उप-नियम (1) के अनुसरण में, प्रशासक की सिफारिश पर, वृक्षारोपण के संबंध में ग्रीन क्रेडिट की गणना के लिए निम्नलिखित पद्धति को अधिसूचित करती है, अर्थात्: -

1. प्रत्येक राज्य और संघ राज्यक्षेत्र के वन विभाग अपने प्रशासनिक नियंत्रण और प्रबंधन के अधीन खुले वन और झाड़ीदार भूमि, बंजर भूमि और जलग्रहण क्षेत्रों सहित अवक्रमित भूमि क्षेत्र की अभिज्ञात करेंगे, जिन्हें वृक्षारोपण के लिए उपलब्ध कराया जाएगा जिसमें उक्त नियमों के अधीन ग्रीन क्रेडिट के सृजन के प्रयोजनों के लिए देश भर में हरित आवरण की वृद्धि करने के लिए क्रियाकलापों को बढ़ावा दिया जा सके।

2. पैरा 1 के अधीन वृक्षारोपण के लिए पहचान किए गए भूमि क्षेत्र को सभी ऋणभारों से मुक्त होना चाहिए और इसका आकार पांच हेक्टेयर या उससे अधिक होना चाहिए।

3. ग्रीन क्रेडिट के सृजन के प्रयोजनों के लिए वृक्षारोपण करने का इच्छुक कोई भी व्यक्ति या संस्था प्रशासक को आवेदन कर सकती है।

4. पैरा 3 के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर, प्रशासक पैरा 1 में निर्दिष्ट किसी भी भूमि की पहचान करेगा और आवेदक को सौंपेगा और उसे उक्त नियमों के अधीन ग्रीन क्रेडिट के सृजन के लिए वृक्षारोपण करने हेतु एक प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कहेगा।

5. पैरा 4 के अधीन प्रस्ताव प्राप्त होने पर, प्रशासक एक डिमांड नोट तैयार करेगा और उसे आवेदक को जारी करेगा, जिसमें वृक्षारोपण की लागत और प्रशासनिक व्यय, यदि कोई हो, को डिमांड नोट में निर्दिष्ट अवधि के भीतर प्रशासक को भुगतान किया जाना सम्मिलित होगा।

6. आवेदक बैंक ड्राफ्ट या भुगतान के ऐसे अन्य साधनों, जो प्रशासक द्वारा तय किया जाए, के माध्यम से डिमांड नोट में निर्दिष्ट अवधि से पहले प्रशासक को राशि का भुगतान करेगा।

7. पैरा 6 के अधीन राशि के भुगतान पर, प्रशासक वन विभाग को प्रबंधन योजना या कार्य योजना के अनुरूप वृक्षारोपण करने का निदेश देगा और भुगतान की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर वक्षारोपण कार्य पूरा किया जाएगा।

8. वृक्षारोपण पूरा होने पर, वन विभाग इस संबंध में प्रशासक को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और आवेदक को वृक्षारोपण पूरा होने का प्रमाण पत्र जारी करेगा।

9. पैरा 8 के अधीन रिपोर्ट प्राप्त होने पर, प्रशासक, वृक्षारोपण के मूल्यांकन और सत्यापन के पश्चात्, उक्त नियमों के अधीन निर्दिष्ट भूमि क्षेत्र में लगाए गए वृक्षों की कुल संख्या और वृक्षारोपण क्रियाकलाप के पूरा होने की रिपोर्ट और प्रमाणन के आधार पर ग्रीन क्रेडिट सृजित कर सकता है और आवेदक को जारी कर सकता है।

10. ग्रीन क्रेडिट की गणना संबंधित वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण के पूरा होने के संबंध में किए गए प्रमाणन के पश्चात्, स्थानीय वृक्ष-जलवायु और मिट्टी की स्थितियों के आधार पर प्रति हेक्टेयर 1100 वृक्षों के न्यूनतम घनत्व के अधीन ऐसे भूमि क्षेत्र पर वृक्षारोपण के माध्यम से उगाए गए प्रति वृक्ष के लिए एक ग्रीन क्रेडिट की दर से की जाएगी।

11. उक्त नियमों के अधीन सृजित ग्रीन क्रेडिट का आदान-प्रदान वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 (1980 का 69), यथास्थिति, के अधीन गैर-वानिकी प्रयोजनों के लिए वन भूमि के अपवर्तन के मामले में प्रतिपूरक वनीकरण के अनुपालन को पूरा करने के लिए किया जा सकता है।

12. उक्त नियमों के अधीन वृक्षारोपण के बदले में सृजित ग्रीन क्रेडिट का उपयोग पर्यावरण, सामाजिक और शासन नेतृत्व संकेतक के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी भी विधि के अधीन बनाए गए नियमों के अधीन कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत रिपोर्टिंग के लिए किया जा सकता है।

[फा. सं. एचएसएम-12/24/2023-एचएसएम (पीटी 2)-पार्ट (1)]

नमिता प्रसाद, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd February, 2024

S.O. 884(E).— Whereas, the Central Government made the Green Credit Rules, 2023 (hereinafter referred to the said Rules) under section 3,6, 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) vide notification number S.O. 4458(E), dated the 12th October, 2023 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub Section (ii);

AND WHEREAS, rule 5 of the said Rules provides that the Central Government shall, on the recommendation of the Administrator, notify the methodology for calculating the green credit in respect of any activity undertaken under the said Rules;

NOW, THEREFORE, in pursuance of sub-rule (1) of rule 5 of the Green Credit Rules, 2023, the Central Government, on the recommendation of the Administrator, hereby notifies the following methodology, for calculation of green credit in respect of tree plantation, namely: -

1. The Forest Department of every State and Union territory shall identify degraded land parcels, including open forest and scrub land, wasteland and catchment areas, under their administrative control and management, which shall be made available for tree plantation to promote activities for increasing the green cover across the country for the purposes of generation of Green Credit under the said Rules.

2. The land parcel identified for plantation under paragraph 1 must be free from all encumbrances and must have size of five hectares or above.

3. Any person or entity desirous of undertaking tree plantation for the purposes of generation of Green Credit may apply to the Administrator.

4. On receipt of the application under paragraph 3, the Administrator shall identify any land referred to in paragraph 1 and assign the same to the applicant and require him to submit a proposal for undertaking tree plantation for generation of Green Credit in lieu thereof under the said Rules.

5. On receipt of the proposal under paragraph 4, the Administrator shall prepare and issue a demand note to the applicant which shall include the cost of tree plantation and administrative expenses, if any, to be paid to the Administrator within a period specified in the demand note.

6. The applicant shall pay the amount to the Administrator on or before the period specified in the demand note through a bank draft or such other means of payment as may be decided by the Administrator.

7. On the payment of the amount under paragraph 6, the Administrator shall direct the Forest Department to carry out tree plantation in line with the management plan or working plan and shall be completed within a period of two years from the date of payment.

8. On completion of tree plantation, the Forest Department shall submit a report in this regard to the Administrator and issue a certificate of completion of tree plantation to the applicant.

9. On receipt of the report under paragraph 8, the Administrator, after evaluation and verification of the tree plantation activity may generate and issue Green Credit to the applicant under the said Rules, based on the total number of trees planted in assigned land parcel and on the report and certification of completion of tree plantation activity.

10. The Green Credit shall be calculated at the rate of one Green Credit per tree grown through the tree plantation on such land parcel, subject to minimum density of 1100 trees per hectare, based on the local silvi-climatic and soil conditions, on the certification of completion of tree plantation provided by the Forest Department concerned.

11. The Green Credit generated under the said Rules, may be exchanged for meeting the compliance of the compensatory afforestation in case of diversion of forest land for non-forestry purposes under the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 (69 of 1980), as applicable.

12. The Green Credit generated in lieu of tree plantation under the said Rules may be used for reporting under environmental, social and governance leadership indicator or under corporate social responsibility under the applicable rules made under any law for the time being in force.

[F. No. HSM-12/24/2023-HSM(pt2)-Part(1)]

NAMEETA PRASAD, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2024.02.26 21:01:23 +05'30'

Annexure III

Green Credit Program – Status of Registration/approval of land parcels for tree plantation/eco-restoration under GCP as of 29th July 2024

		Registered Land parcels		**Land parcels approved by ICFRE**	
S.No.	**State**	**No. of land parcel registered**	**Registered Land area (ha)**	**No. of approved land parcel**	**Approved land area (ha)**
1	Assam	10	454	10	454
2	Bihar	42	3133.72	12	881.36
3	Chhattisgarh	93	1904.92	48	1057
4	Gujarat	342	6760.2	272	5347.25
5	Jharkhand	83	2641.73	17	571.05
6	Madhya Pradesh	261	12029.2	163	7755.29
7	Maharashtra	93	1341	70	1113
8	Odisha	90	834.29	23	272
9	Rajasthan	16	883	10	390
10	Tamil Nadu	160	4328.71	88	1754.95
11	Telangana	77	1738.02	69	1564.02
12	Uttar Pradesh	67	883.96	49	525.72
13	Uttarakhand	11	200.03	3	57.5
	Grand Total	**1345**	**37132.78**	**834**	**21743.14**

*****